

राजस्थान-सरकार राजस्व(ग्रुप-1) विभाग

जयपुर, दिनांक :-03-10-2013

क्रमांक:प.9(98)राज. / ग्रुप-1 / 2013

:- अधिसूचना:-

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 (1956 का अधिनियम,15) की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला जालौर की तहसील चितलवाना के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरों / ढाणियों को एतद्पश्चात राजस्व गॉव के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व गांव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा:-

क्र0 सं	जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या/ क्षेत्रफल (हैक्टर में)		प्रस्तावित राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टर में)		दूरी कि.मी. में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टर में)
			जन संख्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जालौर / चितलवाना	चितलवाना	8145	4688.69	गिरधरधोरा	866	663.27	8.0	4025.42

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, जालौर को अधिकृत किया जाकर जिला कलक्टर विभागीय परिपत्र क्रमांक प.9(16)राज-1/07 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

(सूबेसिंह यादव) संयुक्त शासन सचिव

ADCOM) tolle Conte one)
She what